

अनवर-टूटेजा की 21

तक बड़ी रिमांड अवधि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर: कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में एक बार फिर से कारोबारी अनवर देबर और पूर्व आइएएस अनिल टूटेजा को ईओडब्ल्यू-एसीबी ने रिमांड पर लिया है। दोनों को सोमवार को रिमांड खत्म होने पर विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू की ओर से फिर से रिमांड की मांग की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 21 जुलाई तक रिमांड पर साँपने का आदेश दिया। वहीं, मार्कफेड के पूर्व एमडी रायपुर जेल में बंद मनोज सोनी को ईओडब्ल्यू में सात दिन की रिमांड पर लिया है। तीनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी।